न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 34/2020

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2020/00066

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 हीरकन पुत्र जोधाराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–जैलातरा, तहसील–सांचौर जिला–जालोर, राजस्थान		1 शांतिदेवी पत्नी साजनराम 2 साजनराम पुत्र जोधाराम जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–जैलातरा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 09.07.2020

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण एकपक्षीय।

:– निर्णय :– दिनांक :– 26.03.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जैलातरा में वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 676 रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है, जिसमें वादी का कब्जा काश्त है। वादी के उक्त खातेदारी भूमि के उतर पश्चिम दिशा में प्रतिवादी शांतिदेवी की खातेदार आराजी खसरा संख्या 1642/676 रकबा 0.15 हैक्टेयर आयी हुई है। प्रतिवादीया शांतिदेवी व उसका पति साजन बदमाश एवं आपराधिक किस्म के लोग है, जिनका कानून में कोई विश्वास नही है। प्रतिवादीगण जबरन वादी की उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है तथा आये दिन माठ को तोड़ते रहते है। प्रतिवादीगण ने वादी के उक्त खेत की उनके खेत से लगती हुई माठ को जबरन तोड़ने की कोशिश की तब वादी के पुत्र प्रकाश ने प्रतिवादीगण को माठ तोड़ने से रोका तो प्रतिवादीगण ने वादी के पुत्र प्रकाश के साथ गंभीर मारपीट की, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 37/2020 पुलिस थाना झाब में दर्ज है। प्रतिवादीगण येन केन प्रकारेण वादी की भूमि को हड़प करना चाहते है तथा वादी व उसके परिवारजन से लड़ाई झगड़ा करके भूमि छोड़कर जाने हेतु मजबूर करना चाहते है, जिसके लिए प्रतिवादीगण नाजायज मजमा बनाकर वादी के खेत में अनाधिकृत प्रवेश कर तोड़ फोड़ करते रहते है। प्रतिवादीगण व उनके परिवार[illegible]नांक 04.06.2020 को दिन के करीबन 10:00 बजे वादी के खेत में [illegible] पर लगी छीणे व तारबंदी तोड़ दी तथा पेड़ काटने [illegible] परिवारजन ने मौके पर [illegible] प्रतिवादीगण व उसके परिवारजन को तोड़ फोड़ करने [illegible] रोका तो प्रतिवादीगण [illegible] परिवारजन ने वादी व वादी के परिवारजन के साथ गंभीर मारपीट की जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 50/2020 पुलिस थाना झाब में दर्ज है। वादी को उसकी मालिकाना हक हकूक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

की आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने एवं खेत में रहवास करने एवं शांतिपूर्वक खेत में काश्त करने का विधिक अधिकार है। प्रतिवादीगण व उनके परिवारजन आये दिन वादी व उसके परिवारजन से लड़ाई झगड़ा, टंटा फसाद करके वादी के खेत की माठ तोड़ते रहते है एवं वादी के खेत में जबरन कब्जा करके वादी को उसके खेत से बेदखल करने पर आमदा है जिसके कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु दावा बाबत् जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय अदालत में पेश है। बिनायवाद उस समय पैदा हुआ जब दिनांक 07.05.2020 एवं 04.06.2020 को प्रतिवादी एवं उनके परिवारजन ने वादी के खेत में अनाधिकृत प्रवेश किया एवं वादी के खेत की माठ तोड़ दी तथा माठ पर स्थित छीणे एवं तारबंदी तोड़कर हरे छायादार वृक्ष काट दिये। बिनायवाद मुखास्समात तारीख निरन्तर जारी है।

उक्त प्रकरण दिनांक 09.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हस्तगत वाद में मुख्य बिन्दू यह तय किया जाना है।

1. आया कि मौजा जैलातरा तहसील सांचौर के खसरा नंबर 676 रकबा 0.84 हैक्टेयर में वादी के उपयोग, उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने व न ही किसी अन्य से करवाने की प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। (जिम्मे वादी)
2. आया वादी मौजा जैलातरा के खसरा नंबर 676 व 1642/676 के मध्य माठ पर प्रतिवादीगण को माठ तोड़ फोड़ व अनाधिकृत प्रवेश करने से रोकने हेतु वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

इस संबंध में वादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ बयान देकर बताया कि मेरी खातेदारी भूमि नवीन खसरा संख्या 676 रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि मौजा जैलातरा में आई हुई है। मेरे पड़ौस में प्रतिवादी शांति देवी की खातेदारी भूमि नवीन खसरा संख्या 1662/676 रकबा 0.15 हैक्टेयर आई हुई है। प्रतिवादीया शांति देवी व उसका पति साजन बदमाश एवं आपराधिक किस्म के लोग है। मेरी उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है, तथा आये दिन माठ तोड़ते रहते है। दिनांक 07.05.2019 को प्रतिवादीगण ने मेरे उक्त खेत की माठ को तोड़ने की कोशिश की तो मेरे पुत्र प्रकाश ने इसे रोकने की कोशिश की, जिस पर प्रतिवादीगण ने मेरे पुत्र के साथ मारपीट की। जिसका मुकदमा पुलिस थाना झाब में दर्ज करवाया। उसके बाद पुनः प्रतिवादीगण ने दिनांक [illegible].20[illegible] को खेत की सीणें व तारबंदी तोड़ दी, जिसका मुकदमा पुलिस थाना झाब में करवाया इस प्रकार मेरे मालिकाना हक हकूक की आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने रहवास, शांतिपूर्वक खेती करने में प्रतिवादीगण दखलंदाजी कर रहे है तथा मुझे जबरन बेदखल करने पर आमदा है जिन्हें रोकने के लिए मैंने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा माननीय न्यायालय में पेश किया है। मेरे खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

की जमाबंदी प्रदर्श 01 है। प्रतिवादी के खेत की जमाबंदी प्रदर्श 02 है। नक्शा प्रदर्श 03 है। एफ.आई.आर प्रदर्श 04 व 05 है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब व साक्ष्य पेश नहीं की, जिस पर शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

हमने अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम जैलातरा में वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 676 रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है, जिसमें वादी का कब्जा काश्त है। वादी के उक्त खातेदारी भूमि के उतर पश्चिम दिशा में प्रतिवादी शांतिदेवी की खातेदार आराजी खसरा संख्या 1642/676 रकबा 0.15 हैक्टेयर आयी हुई है। प्रतिवादीया शांतिदेवी व उसका पति साजन बदमाश एवं आपराधिक किस्म के लोग है, जिनका कानून में कोई विश्वास नही है। प्रतिवादीगण जबरन वादी की उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है तथा आये दिन माठ को तोड़ते रहते है। प्रतिवादीगण ने वादी के उक्त खेत की उनके खेत से लगती हुई माठ को जबरन तोड़ने की कोशिश की तब वादी के पुत्र प्रकाश ने प्रतिवादीगण को माठ तोड़ने से रोका तो प्रतिवादीगण ने वादी के पुत्र प्रकाश के साथ गंभीर मारपीट की, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 37/2020 पुलिस थाना झाब में दर्ज है। प्रतिवादीगण येन केन प्रकारेण वादी की भूमि को हड़प करना चाहते है तथा वादी व उसके परिवारजन से लड़ाई झगड़ा करके भूमि छोड़कर जाने हेतु मजबूर करना चाहते है, जिसके लिए प्रतिवादीगण नाजायज मजमा बनाकर वादी के खेत में अनाधिकृत प्रवेश कर तोड़ फोड़ करते रहते है। प्रतिवादीगण व उनके परिवारजन ने दिनांक 04.06.2020 को दिन के करीबन 10:00 बजे वादी के खेत में प्रवेश किया तथा वादी के खेत की माठ पर लगी छीणे व तारबंदी तोड़ दी तथा पेड़ काटने लगे तब वादी व उसके परिवारजन ने मौके पर जाकर प्रतिवादीगण व उसके परिवारजन को तोड़ फोड़ करने से रोका तो प्रतिवादीगण व उसके परिवारजन ने वादी व वादी के परिवारजन के साथ गंभीर मारपीट की जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 50/2020 पुलिस थाना झाब में दर्ज है। वादी को उसकी मालिकाना हक हकूक की आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने एवं खेत में रहवास करने एवं शांतिपूर्वक खेत में काश्त करने का विधिक अधिकार है।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन व अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तनकीयात निम्न प्रकार से निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:26 IST
Reason: SelfAttested

<u>**तनकी संख्या 01 :–**</u> इस [illegible] द्वारा खातेदारी भूमि नवीन खसरा संख्या 676 रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि मौजा जैलातरा में स्थित है। प्रतिवादीया शांति देवी की खातेदारी भूमि नवीन खसरा संख्या 1642/676 रकबा 0.15 हैक्टेयर आई हुई है। प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृति के लोग है। मेरी उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है तथा आये दिन माठ तोड़ते रहते है। प्रतिवादीगण ने वादी के पुत्र के साथ मारपीट की जिसका प्रकरण

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर
Scanned with OKEN Scanner

भी पंजिबद्व करवाया गया। वादी की मालिकाना हक हकूक की आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण दखलंदाजी पैदा करते है। इस संबंध में वादी द्वारा खेत की जमाबंदी प्रदर्श 1, प्रतिवादी के खेत की जमाबंदी प्रदर्श 2, नक्शा प्रदर्श 3, एवं एफ.आई.आर. प्रदर्श 4 व 5 पेश किये है। मौजा जैलातरा के खसरा संख्या 676 रकबा 0.84 हैक्टेयर वादी की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की है जिसमें प्रतिवादीगण उनके उपयोग उपभोग में दखलंदाजी पैदा करते है इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी वादी के कब्जा काश्त की है ऐसी सुरत में वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से उक्त तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से वादी द्वारा अपने सशपथ बयानों में बताया कि खसरा संख्या 676 व 1642/676 के मध्य माठ को तोड़ते रहते है जिसका वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रकरण को पंजिबद्व करवाया गया है, उक्त आराजी खसरा संख्या 676 रकबा 0.84 हैक्टेयर वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है जिस पर वादी स्थाई निषेधाज्ञा व अनाधिकृत प्रवेश करने से रोकने की डिक्री वादी पाने का हकदार होने से प्रतिवादीगण वादी के खसरा संख्या 676 व प्रतिवादी के खसरा संख्या 1642/676 के मध्य माठ को तोड फोड़ व अनाधिकृत प्रवेश हेतु वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का हकदार होने से उक्त तनकी संख्या 02 वादी अपने पक्ष में निर्णित करने में बखूबी सफल होने से उक्त तनकी संख्या 02 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वादी का वाद वादी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलंदाजी करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। इसी मूताबिक डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **26.03.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner